

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,  
उप सचिव,  
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

विषय:-निजी आवासों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-3557/यूपीनेडा-सो.रूफटाप-बजट/2018-19, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी आवासों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 2500.00 लाख की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 416.00 लाख (रूपये चार करोड़ सोलह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाल व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिए पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 4- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय संसुगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 6- द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
- 7- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 8- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्णकर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 9- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 10- स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 तथा समय≤ पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय किए जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना से संबंधित समय≤ पर निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन लेखाशीर्षक “2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-60-अन्य-800-अन्य व्यय-0704-निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराया जाना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के नामे डाला जायेगा।
- 13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (4) राज्य योजना आयोग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0 प्रयागराज।
- (6) गाड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार  
उप सचिव।